संख्या-223/2018/3774/26-3-2018

प्रेषक,

रवि शंकर मिश्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 15 नवम्बर 2018

विषय:- **मा0 उच्च न्यायालय में योजित विभिन्न याचिकाओं के अन्तर्गत पारित आदेशों के क्रम में निस्तारित व अन्य प्रकरणों में धनराशि व्यय की अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-2380/स0क0/शिक्षा-अ/04/299/2018-19, दिनांक-15.10.2018, पत्रांक-2379/स0क0/शिक्षा-अ/04/298/2018-19, दिनांक- 15.10.2018, पत्रांक-2629/स0क0/शिक्षा-अ/02/138/2018-19, दिनांक-01.11.2018 एवं पत्रांक- 2638/स0क0/शिक्षा-अ/04/126 2018-19 दिनांक-02.11.2018 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या पर सम्यक्विचारोपरान्त निदेशक, समाज कल्याण द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार निम्नलिखित विवरण के अनुसार वर्ष 2013-14 से वर्ष 2015-16 तक की देयता के भुगतान की अनुमति शासनादेश संख्या-163/2018/2474/26-3-2018 दिनांक 25-07-2018 द्वारा जारी वित्तीय स्वीकृति से श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

धनराशि लाख में

क्रमसं0	रिट याचिका से सम्बन्धित प्रकरण/अन्य संदर्भ	देयता का संक्षिप्त विवरण	वांछित धनराशि
1	रिट याचिका संख्या-14629/एम0एस0/2017 श्री जीतराम स्मारक इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालाजी, बरेली बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के सम्बन्ध में।	वर्ष 2015-16 में अध्ययन प्राप्त अनुसूचित जाति के 27 छात्र/ छात्राओं की देयता	18.562
2	रिट याचिका संख्या-14631/एम0एस0/2017 श्री जीतराम स्मारक इंस्टीट्यूट आफ पालीटेक्निक, बरेली बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के सम्बन्ध में।	वर्ष 2015-16 में अध्ययन प्राप्त अनुसूचित जाति के 06 छात्र/ छात्राओं की देयता	1.8203
3	रिट याचिका सं0-26714/एम0एस0/2016 आसलर बिजनेस स्कूल, मथुरा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के सम्बन्ध में।	वर्श 2014-15 हेतु 42 छात्रों की देयता की अवशेष धनराशि	1.0819
4	श्री अन्वेश चन्द्रा, बी0टेक0 छात्र जे0एस0एस0 एकेडमी आफ टेक्निकल एजूकेशन, नोएडा की वर्ष 2013-14 की छात्रवृत्ति एवं शुल्कप्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में।	वर्ष 2013-14 की देयता	0.883
योग			**22.3472**

(रू0-बाईस लाख चौतीस हजार सात सौ बीस मात्र)

भवदीय

रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव।

पृ.संख्या-223/2018/3774(1)/26-3-2018 तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम,उ0प्र0,इलाहाबाद।
2. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

रवि शंकर मिश्र
अनु साचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in